राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई/सीएएस/विजॉ/संयुक्त–309/2014/ दिनांक :

-: आदेश :-

श्री रघुवीर सिंह, क0लि0, सामु.स्वा.केन्द्र अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर) को शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमांक पं08(41)चिस्वा/2/02 दिनांक 29.05.02 के द्वारा राज्यसेवा से निलम्बित कर मुख्यालय निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर में किया गया था। उक्त आदेश को कार्मिक (क–3/जांच) विभाग के आदेश क्रमांक पं. 1(131)कार्मिक/क–3/02 दिनांक 23.08.02 के द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 03.01.12 के द्वारा कार्मिक (क–3/जांच) विभाग के परिपत्र क्रमांक पं.2(157)कार्मिक/क–3/97 दिनांक 07.07.10 के अनुक्रम में लोकसेवकों के आपराधिक प्रकरणों में निलम्बन एवं निलम्बन से बहाली के संबंध में परिपत्र जारी किया गया। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 27.02.13 को बैठक आयोजित कर दायर एस.बी.सि. अवमानना याचिका संख्या 294/2014 (अन्तर्गत एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11024/2012) श्री रघुवीर सिंह बनाम श्रीमती अल्का चौधरी व अन्य में दिनांक 10.10.12 को पारित निर्णय के अनुसरण में श्री रघुवीर सिंह, क0लि0 के विरूद्ध नो–अपील का निर्णय लिया गया जिसकी पालना में श्री रघुवीर सिंह (निलम्बित) मुख्यालय को उनके विरूद्ध विभागीय जांच प्रकरण एवं माननीय न्यायालय में पी.सी. एक्ट एवं भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत विचाराधीन प्रकरण के निर्णयों को सुरक्षित रखते हुए इसकी उपस्थिति की तिथि से इन्हें राज्यसेवा में बहाल किया जाता है।

Sd/-
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई/सीएएस/विजॉ/संयुक्त–309/2014/ 529 दिनांक : 2/9/14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर
2. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को शासकीय स्तर से अनुमोदन करवाते हुए सूचित करावें।
3. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क–3/जांच) विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश का अनुमोदित करने का श्रम करें।
4. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान जयपुर।
5. अति0 निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय को लेख है कि श्री रघुवीर सिंह, क0लि0 को रोकड भण्डार व किसी भी केश से संबंधित कार्य के पद पर नहीं लगाया जावे।
6. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अनूपगढ (श्रीगंगानगर) एवं समन्वयक को दायर एस.बी.सि. अवमानना याचिका संख्या 294/2014 (अन्तर्गत एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11024/2012) श्री रघुवीर सिंह के प्रकरण में निर्देशित किया जाता है कि अवमानना प्रकरण का जवाब तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर को पेश करने की कार्यवाही कर प्रकरण का निस्तारण करने की कार्यवाही करावें एवं की गई कार्यवाही से अवगत करावें।
7. श्री अनिल कुमार बिस्सा, एडिसनल गवर्नमेन्ट कौंसिल (चिकित्सा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जबरेश्वर महादेव मन्दिर के सामने, करतारपुरा, जोधपुर–342001
8. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि केस अधिकारी प्रभारी को अपने स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करावें
9. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
10. श्री रघुवीर सिंह, क0लि0 (निलम्बित) मुख्यालय निदेशालय को निर्देशित किया जाता है कि अपने अग्रिम पदस्थापन हेतु अपनी उपस्थिति अविलम्ब अति0 निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय को प्रस्तुत करें।
11. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय।
12. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, विधि अनुभाग, मुख्यालय।

रक्षित पत्रावली।

Sd/-
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।